ज़ीरो FIR

प्रलिमि्स के लयि:

FIR प्रावधान, ज़ीरो FIR, संज्ञेय अपराध, POCSO अधनियिम

मेन्स के लयि:

FIR- प्रावधान, सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टकिोण

चर्चा में क्यों?

मणपिुर में हसिा और अपराध की हालयिा घटनाओं में शून्य/ज़ीरो प्रथम सूचना रपिोर्ट (FIR) की अवधारणा की सबसे अधकि चर्चा की गई है।

ज़ीरो FIR

- **परचिय :**
  - ज़ीरो FIR, जसिे **कसिी भी पुलसि स्टेशन द्वारा क्षेत्राधकिार की परवाह कयि बनिा, तब दर्ज कयिा जा सकता** है जब उसे कसिी संज्ञेय अपराध के संबंध में शकियत मलिती है।
  - इस स्तर पर कोई नयिमति FIR नंबर नरि्दष्टि नहीं कयिा जाता है।
  - ज़ीरो FIR दर्ज होने के बाद रेवेन्यू पुलसि स्टेशन नई FIR दर्ज करता है **और जाँच शुरू करता है।**
  - इसका उद्देश्य गंभीर अपराधों के **पीड़तिों, वशिषकर महलिाओं और बच्चों को बगैर एक पुलसि स्टेशन से दूसरे पुलसि स्टेशन गए, जल्दी और आसानी** से शकियत दर्ज कराने में सहायता करना है।
  - इसका उद्देश्य यह सुनश्चिति करना भी है कि शकियत दर्ज करने में देरी के कारण **सबूत और गवाहों के साथ छेड़छाड़ न की जाए।**
  - इन्हें **संबंधति पुलसि स्टेशन में स्थानांतरति कर दयि** जाता है जहाँ अपराध हुआ है या जहाँ जाँच की जानी है।
- **ज़ीरो FIR का कानूनी आधार:**
  - ज़ीरो FIR जस्टसि वर्मा समति की सफिारशि के बाद प्रस्तुत की गई थी, जसिे **वर्ष 2012 के नरि्भया सामूहकि बलात्कार मामले** के बाद स्थापति कयिा गया था।
  - ज़ीरो FIR का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय **तथा उच्च न्यायालयों** के वभिन्नि नरि्णयों द्वारा भी समर्थति है।
    - उदाहरण के लयि **ललति कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले (वर्ष 2014)** में **सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जब सूचना कसिी संज्ञेय अपराध के घटति होने का खुलासा** करती है तो **FIR दर्ज करना अनविार्य** है।
    - **सतवदिर कौर बनाम दल्लिी राज्य मामले (वर्ष 1999)** में **दल्लिी उच्च न्यायालय ने माना कि एक महलिा को घटना स्थल के अलावा कसिी भी स्थान से अपनी शकियत दर्ज कराने का अधकिार** है।

प्रथम सूचना रपिोर्ट (FIR):

- **परचिय:**
  - कसिी **संज्ञेय अपराध** की सूचना मलिने पर पुलसि द्वारा तैयार कयिा गया लखिति दस्तावेज़ होता है।
  - **यह जाँच प्रक्रयिा की दशिा में पहला कदम** है।
  - यह पुलसि द्वारा जाँच तथा आगे की कार्रवाई को गति प्रदान करता है।
- **संज्ञेय अपराधों में FIR का पंजीकरण:**
  - **CrPC की धारा 154(1)** पुलसि को संज्ञेय अपराधों के लयि FIR दर्ज करने की अनुमति देती है।
- **FIR दर्ज न करना:**
  - न्यायाधीश जे.एस. वर्मा समति की सफिारशि के आधार पर IPC में धारा 166A जोड़ी गई।
  - संज्ञेय अपराध से संबंधति जानकारी दर्ज करने में वफिल रहने वाले लोक सेवकों के लयि यह दंड का प्रावधान करता है।
  - सज़ा में दो वर्ष तक की कैद और जुर्माना शामलि है।

संज्ञेय और गैर-संज्ञेय अपराध

- **संज्ञेय अपराध:**
  - संज्ञेय अपराधों में एक अधिकारी न्यायालय के **वारंट की मांग किये बिना किसी संदिग्ध का संज्ञान ले सकता है तथा उसे गिरफ्तार कर सकता है,** यदि उसके पास **"विश्वास करने का कारण"** है कि उस व्यक्ति ने **अपराध किया है** और संतुष्ट है कि कुछ निश्चित आधारों पर गिरफ्तारी आवश्यक है।
  - गिरफ्तारी के **24 घंटे के अंदर अधिकारी को** न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हिरासत की पुष्टि करनी होगी।
  - **177वें विधि आयोग की रिपोर्ट** के अनुसार, संज्ञेय अपराध वे हैं **जिनमें तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता होती है।**
  - संज्ञेय अपराध आमतौर पर **जघन्य या गंभीर प्रकृति के** होते हैं जैसे कि हत्या, बलात्कार, अपहरण, चोरी, दहेज हत्या आदि।
  - **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) केवल संज्ञेय अपराधों के मामले में दर्ज की जाती है।**
- **गैर-संज्ञेय अपराध:**
  - गैर-संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस आरोपी को **बिना वारंट के** गिरफ्तार नहीं कर सकती है और साथ ही **अदालत की अनुमति के बिना** जाँच शुरू नहीं कर सकती।
  - जालसाज़ी, धोखाधड़ी, मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव आदि अपराध गैर-संज्ञेय अपराधों की श्रेणी में आते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि एक अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में।
2. न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

- न्यायिक हिरासत में एक अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में होता है और जेल में बंद रखा जाता है, जबकि पुलिस हिरासत के मामले में ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है। **अतः कथन 1 सही नहीं है।**
- न्यायिक हिरासत के दौरान मामले का प्रभारी पुलिस अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है लेकिन मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के साथ। पुलिस हिरासत के मामले में पुलिस अधिकारी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है लेकिन उसे 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने पेश करना होगा। **अतः कथन 2 सही है।**

इसलिये विकल्प (B) सही उत्तर है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/zero-fir